निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 7/2024
दायरा दिनांकः–22.03.2024
निर्णय दिनांकः– 23-7-24

उनवान

रामकन्या बाई आयु 67 वर्ष पुत्री बिहारीलाल जाति माली निवासी ग्राम चांचोडा तहसील छबडा हाल निवासी नागादेव मोहल्ला अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0।

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर एक्ट
निर्णय दिनांकः– 23.7.24
अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री भवरसिंह जादौन – प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 आर.टी.ए विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि प्रार्थीया के शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 221 की खसरा नम्बर 136 रकबा 1.1576 है0 भूमि वाके माल चांचोडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0) में स्थित है। जिसमें प्रार्थीया का हिस्सा 1/5 स्थित है जो दर्ज जमाबन्दी चला आ रहा है जिसकी वर्तमान जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थीया उक्त प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि पर गत् कई वर्षो काबिज रहकर शांति पूर्वक काश्त करती चली आ रही है। प्रार्थीया के पिता बिहारीलाल का फोती इंतकाल खोलतें समय राजस्व कर्मचारियों के सहवन से प्रार्थीया का नाम इंतकाल में रामकन्या बाई के स्थान पर घर में बोलता नाम कन्या बाई दर्ज कर दिया है जबकि प्रार्थीया का वास्तविक नाम रामकन्या बाई है जिसे दुरूस्तीकरण किया जाकर कन्याबाई के स्थान पर रामकन्या बाई किया जाना आवश्यक है। जो अत्यन्त न्यायोचित व आवश्यक है। प्रार्थीया के सभी दस्तावेजात आधार कार्ड, पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, सभी में प्रार्थीया का नाम रामकन्या बाई दर्ज है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में गलत नाम कन्याबाई दर्ज होने से उसे केन्द्र सरकार राज्य [illegible] द्वारा जारी योजनाओ के लाभ व फसल मुआवजा राशि से वंचित होना पड़ रहा है। प्रार्थीया प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि के खसरा पर किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर ऋण प्राप्त कर ट्युबवैल लगाकर तारफैन्सिंग कर भूमि समतल करवाकर प्रगति शील [illegible] करना चाहती है परन्तु जो प्रार्थीया के राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्तीकरण [illegible] बिना संभव नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.08.08 17:27:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम चांचोडा सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 221पेश की गई। फोटो प्रति जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, रामकन्या बाई बैंक पास बुक पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सूनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थीया का कथन है कि विवादित आराजी प्रार्थीया के खातेदारी में दर्ज है जिसमें प्रार्थीया का हिस्सा 1/5 हिस्सा निहित है प्रार्थीया के पिता बिहारीलाल का फोती नामान्तरण खोलते समय प्रार्थीया का नाम रामकन्या बाई के स्थान पर कन्याबाई दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थीया का वास्तविक नाम रामकन्या बाई है प्रार्थीया के राजस्व रिकार्ड में कन्याबाई दर्ज है तथा प्रार्थीया के अन्य दस्तावेजात में रामकन्या बाई दर्ज है जिससे राज्य सरकार से मिलने वाले समारत लाभों से प्रार्थीया वंचित है प्रार्थीया का नाम कन्याबाई के स्थान पर रामकन्या बाई राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज किया जावे जिससे प्रार्थीया को अन्य लाभ मिल सके।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम चांचोडा सम्वत 2075–78 खाता संख्या 221 में प्रार्थीया का नाम कन्याबाई हिस्सा 1/5 दर्ज रिकार्ड है फोटो प्रति जन आधार कार्ड, आधार कार्डख बैंक पास बुक, मं प्रार्थीया का नाम रामकन्या बाई दर्ज है इससे यह साबित होता है कि प्रार्थीया का नाम रामकन्या बाई है जो राजस्व रिकार्ड में कन्याबाई दर्ज हो गया है इस संबंध में तहसीलदार से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा द्वारा रिपोर्ट में बताया की जॉच करने पर पाया गया कि नामान्तरण संख्या 1308 दिनांक 02.06.2015 में बिहारीलाल के विरासत इंतकाल से प्रार्थीया का नाम कन्याबाई दर्ज हुआ जो की आज तक राजस्व रिकार्ड में चला आ रहा है वादिया के दस्तावेजों में रामकन्या बाई है ग्राम वासियो से जानकारी करने पर उपस्थित व्यक्तियों के द्वारा जानकारी करने पर ज्ञात हुआ की बिहारीलाल के पुत्र तथा 3 पुत्रिया है निमें से एक का नाम कन्याबाई है जिसे रामकन्या बाई के नाम से जानतें है तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट एवं प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके [illegible] के खसरा नम्बर 136 रकबा 1.1576 है0 में प्रार्थीया का नाम कन्या[illegible] के स्थान पर रामकन्या बाई दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छब[illegible] दिये जाते [illegible]

निर्णय लिखाया जा[illegible] गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.08.08 17:27:04 IST
Reason: SelfAttested

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा